[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 07/2026-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि.(अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2018-केन्द्रीय कर, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 868(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित में से किसी भी माल की आपूर्ति प्राप्त करता है, अर्थात्:-

(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 1518 के अंतर्गत आने वाला खाना पकाने का प्रयुक्त तेल;

(ii) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 3915 के अंतर्गत आने वाले प्लास्टिक के अपशिष्ट और स्क्रैप;

(iii) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 4004 के अंतर्गत आने वाले टायरों के अपशिष्ट और स्क्रैप;

(iv) उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 72 से 81 के अंतर्गत आने वाला धातु स्क्रैप; या

(v) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 8549 के अंतर्गत आने वाले विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रैप"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)
अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 50/2018-केन्द्रीय कर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 868(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 25/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 629(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी।